

IPC/21/11

इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

21 नवम्बर, 2017

सूचना

दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त 14 नवम्बर 2017 की एडवाइज़री सं. PCTO/2017/1719 को ध्यान में रखते हुए, छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अनधिकृत, गैर-कानूनी और अवांछनीय गतिविधियों से दूर रहें। यदि महाविद्यालय परिसर में किसी छात्रा द्वारा दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आती है तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत वास्तविक छात्राओं या उनके साथियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


प्राचार्या

प्रति :

1. छात्राओं का नोटिस बोर्ड
2. छात्रावास का नोटिस बोर्ड
3. महाविद्यालय की वेबसाइट